बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन)

प्रदेश के युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु

निःशुल्क टूल किट वितरण योजना

निर्धारित मापदंड एवं योग्यता

- बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य।
- कम से कम छः माह पूर्व का नियोजनालय में निबंधन।
- उम्र सीमा-18-40 वर्ष।
- वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम 3,00,000/- से कम हो।
- स्वरोजगार हेतु संबंधित ट्रेडों यथा : Electrician/Electronic/Fitter/ Mobile repair/Plumber/Beautician/ Home appliances repair/Sewing Machine Operator इत्यादि में मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 03 माह का प्रशिक्षण प्राप्त, RSETI, जन शिक्षण संस्थान, PMKVY, DDUGKY इत्यादि मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त एवं बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) से RPL (Recognition of Prior Learning) प्रमाण-पत्र प्राप्त युवा लाभुक होंगे।
- लाभुकों के चयन में दिव्यांगजन, Transgender, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा एवं महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

अधिक जानकारी एवं आवेदन करने हेतु अपने संबंधित नियोजनालय से संपर्क करें।

Toll Free No- 1800-296-5656

PR No.- 023751 (Youth, Employment & Skil)D. 2025-26